संख्या: 1:05:138:॥:सीएस

दिनांक: 08.11.2024

National Stock Exchange of India Ltd,

Listing Department, Exchange Plaza, Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) MUMBAI – 400 051.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड,

लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई) **मुंबई - 400 051.**

BSE Limited,

Department of Corporate Services, Floor – 25, PJ Towers, Dalal Street,

MUMBAI – 400 001.

बीएसई लिमिटेड,

कॉर्पोरेट सेवा विभाग, फ्लोर - 25, पी.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, **मुंबई - 400 001.**

विषय: बोर्ड गठन के परिणाम- सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुसार सूचना।

महोदया/महोदय,

दिनांक 05.11.2024 को हमारे पिछले संचार के क्रम में, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने आज यानि 08.11.2024 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर विचार किया और अनुमोदित किया है:

1. 30.09.2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (स्टैंडअलोन और समेकित), और 30.9.2024 को समाप्त छमाही के लिए अनऑडिटेड विशेष प्रयोजन संक्षिप्त अंतरिम वित्तीय विवरण (स्टैंडअलोन और समेकित)।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार, 30.09.2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (स्टैंडअलोन और समेकित), और 30.09.2024 को समाप्त छमाही के लिए अ-लेखापरीक्षित विशेष प्रयोजन संक्षिप्त अंतरिम वित्तीय विवरण (स्टैंडअलोन और समेकित) संयुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों यानी ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और मेहरा गोयल एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा सीमित समीक्षा रिपोर्ट।

2. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए {10/- प्रत्येक के चुकता इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य पर रु.3.50/- (तीन रुपये पचास पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर (अर्थात @ 35%) (टीडीएस की कटौती के अधीन) की दर से द्वितीय अंतरिम लाभांश की घोषणा।

इसके अलावा, यह सूचित किया जाता है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए द्वितीय अंतरिम लाभांश के भुगतान के लिए शेयरधारकों की पात्रता का पता लगाने के उद्देश्य से 25.11.2024 (सोमवार) को 'रिकॉर्ड तिथि' के रूप में माना जाएगा।

उपरोक्त दूसरे अंतरिम लाभांश के भुगतान/प्रेषण की तिथि 08.12.2024 को या उससे पहले होगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, लाभांश आय शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य है और कंपनी को लाभांश का भुगतान करते समय आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर (टीडीएस) काटना आवश्यक है। हालांकि, यदि कोई शेयरधारक चाहता है कि उसका कर कम दरों पर काटा जाए या आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कोई कर नहीं काटा जाए, तो उसे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पैन, फॉर्म 15जी/15एच और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति निम्नलिखित लिंक पर जमा करनी चाहिए। https://ris.kfintech.com/fonn 1 5/forms.aspx?g=0

3. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख की नियुक्ति (1-IIA)

श्री मिलिंद मधुसूदन दफाडे, मुख्य महाप्रबंधक (पीएफसी) को 08.11.2024 से 3 (तीन) वर्षों की अविध के लिए श्री के.सी. किस्कू, मुख्य महाप्रबंधक (पीएफसी) के स्थान पर आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख नियुक्त किया गया है।

बोर्ड की बैठक दोपहर 12:30 बजे शुरू हुई और अपराह्न 3:15 बजे समाप्त हुई।

यह आपकी जानकारी एवं रिकार्ड हेतु प्रस्तुत है।

धन्यवाद,

भवदीय, पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड

(मनीष कुमार अग्रवाल) कंपनी सचिव एवंअनुपालन अधिकारी mk_agarwal@pfcindia.com